समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

कोच्ची - 682 036

फाइल सं :क्यूसी-आईएनएसपी-2020/1/क्यूसी   29.12.2021

नोट

1. 28.12.2022 के अनुसार भारतीय समुद्री खाद्य उद्यमों के कुल 527 पंजीकरण आवेदनों को जीएसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है । स्वीकृत पंजीकरणों की सूची https://ciferquery.singlewindow.cn/ पर उपलब्ध है। लिंक का चयन करने के बाद उत्पाद श्रेणी के क्षेत्र में जलीय उत्पादों केलिए 1801 और भारत देश कोड केलिए 111 टाइप करें । मूल साइट चीनी में है, लेकिन गूगल अनुवाद की मदद से अंग्रेजी में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. ईओआई बीजिंग ने ईपीसी सिफ़ारिश के साथ 18 श्रेणियों (जलीय उत्पाद समेत) के भीतर आने वाले खाद्य पदार्थों से जुड़े उद्यमों के विवरण के साथ सूचियां एक बार के प्रयोग (GACC NV No. 353) के रूप में जीएसीसी को भेजी थीं । **जीएसीसी के साथ साझा की गई सूचियों में उल्लेख नहीं किए गए शेष उद्यमों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली : https://cifer.singlewindow.cn/. में पंजीकरण करना होगा।** चीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिंगल विंडो https://www.singlewindow.cn/. के माध्यम से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। उद्यमों को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रत्येक एच एस कोड केलिए पंजीकरण रीति की जांच करने (आधिकारिक सिफ़ारिश या स्वयं मूल्यांकन) की सलाह दी जाती है। (कृपया जीएसीसी का संलग्न सिंगल विंडो मैनुअल देखें *)

3. 18 श्रेणियों के बीच आने वाले उद्यमों को सक्षम प्राधिकरणों (जलीय उत्पादों के मामले में ईआईसी) से एक खाता संख्या (उपयोगकर्ता नाम) और पासवर्ड प्राप्त करना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए लॉग इन सुविधा का उपयोग (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) अपंजीकृत यूनिटों द्वारा संगत सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए अपने पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने केलिए किया जा सकता है।उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन की उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी एवं जीएसीसी में पंजीकरण केलिए सिफ़ारिश की जाएगी।

4. यह नोट किया जाये कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्यात में जुटे एक उद्यम को विभिन्न उत्पादों केलिए जीएसीसी के साथ विभिन्न पंजीकरण नंबर केलिए आवेदन

करना होगा। चीन में, कई खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण या भंडारण उद्यमों को एक पंजीकरण संख्या का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यह भी प्रतीत होता है कि कुछ उद्यम जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी जीएसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्यातकों से सिस्टम में पंजीकरण करने का आग्रह किया जाए।

5. आसान संदर्भ के लिए, खाद्य निर्यात उद्यमों के प्रशासन और पंजीकरण के लिए जीएसीसी विनियमों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज नीचे साझा किए जाते हैं:

i. जीएसीसी आदेश सं. 248 और .249

ii. जीएसीसी घोषणा सं. 353 और अनुलग्नक।

iii. विदेशी उत्पादन उद्यमों द्वारा आयातित खाद्य की घोषणा और पैकेजिंग लेबल अंकन पर पंजीकरण संख्या भरने से संबन्धित स्पष्टीकरण के साथ जीएसीसी घोषणा संख्या 103 दिनांक 13 दिसंबर 2021 ।

iv. जीएसीसी के प्रश्न का जवाब।

v. 17 दिसंबर 2021 को आयोजित सीआईक्यूए-जीएसीसी भाषण से पूछे जाने वाले प्रश्न ।

vi. जीएसीसी द्वारा सिंगल विंडो यूसर मैनुअल ।

यह निर्यातकों और एमपीईडीए फील्ड कार्यालयों की सूचना केलिए है। ।

डॉ राम मोहन एम के
संयुक्त निदेशक (गु नि)